संख्या /XVII–3/11–07(63)/2006

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3, देहरादून: दिनांक: 02 दिसम्बर, 2011

विषयः उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में समाज कल्याण निदेशालय में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, विकलांगजनों, महिला कल्याण तथा अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। समाज कल्याण निदेशालय में अत्यधिक कार्य होने के कारण अल्पसंख्यकों के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं का समुचित संचालन नही हो पा रहा है। अतः इन योजनाओं/कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय **"अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय"** के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को संचालित किये जाने हेतु निम्न पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2012 तक, बशर्ते कि इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रमांक	पदनाम	वेतन बैन्ड (ग्रेड–पे) र में	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	निदेशक	आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग	01(एक)
2.	उप निदेशक	वेतन बैन्ड–3, 15600–39100+ग्रेड पे–6600	01(एक)
3.	वित्त अधिकारी	वित्त सेवा का संवर्गीय वेतनमान	01(एक)
4.	लेखाकार	वेतन बैन्ड–2, 9300–34800+ग्रेड पे–4200)	01(एक)
5.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैन्ड–2, 9300–34800+ग्रेड पे–4200)	01(एक)
6.	मुख्य सहायक	वेतन बैन्ड–1, 5200–20200+ग्रेड पे–2800	01(एक)
7.	सहायक लेखाकार (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड–1, 5200–20200+ग्रेड पे–2800	01(एक)

2:-

8.	प्रवर सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड–1, 5200–20200+ग्रेड पे–2400	01(एक)
9.	आशुलिपिक (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड–1, 5200–20200+ग्रेड पे–2400	01(एक)
10.	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड–1, 5200–20200+ग्रेड पे–1900	02(दो)
		कुल	11(ग्यारह)

3. अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, का मुख्यालय देहरादून में होगा।

4. सफाई, वाहन चालक, अनुसेवक व सुरक्षा की व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी, परन्तु संख्या का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त किया जायेगा तथा पारश्रमिकता का भुगतान संगत शासनादेशों के अनुरूप देय होगा।.

5. उपरोक्त तालिका के कमांक–7 पर सहायक लेखाकार का 01 पद, कमांक–8 पर प्रवर सहायक का 01 पद, कमांक–9 पर आशुलिपिक का 01 पद एवं कमांक–10 पर कनिष्ठ सहायक के 02 पद अर्थात कुल 05 पद निदेशालय, समाज कल्याण से स्थानान्तरित किये जायेंगे।

6. उपरोक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित पांच (5) पदों के स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–927/कल्याण/2001 दिनांक 26.12.2001 एवं शासनादेश संख्या–477/XVII–1/11–01(78)/2008 दिनांक 27 मई, 2011 में उल्लिखित उक्त पदों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

7. स्वीकृत किये जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

8. अल्पसंख्यक विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं तथा प्रतिष्ठानों यथा मदरसा बोर्ड, राज्य हज समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग एवं पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम इत्यादि का संचालन अल्पसंख्कय कल्याण निदेशालय से किया जायेगा।

9. जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ही अल्पसंख्यक विकास से सम्बन्धित कार्यो का संचालन निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के निर्देशों के अनुसार करेंगे।

10. नवगठित अल्पसंख्यक कल्याण के अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन के लिए नया लेखा शीर्षक अभी नही खुला है अतः चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुदान संख्याः 15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवाएं–00–800–अन्य व्यय–09–पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन पर व्यय के मानक मद–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता से अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायेंगे। जब अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के लिए नया लेखा शीर्षक खुल जायेगा, तब उस लेखाशीर्षक के अन्तर्गत व्यय वहन किया जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–554/XVII(7)/2011 दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

संख्या 1183 (1)/XVII-3/11-07(63)/-06 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन नई दिल्ली।
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नवसृजित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, में निदेशक के पद पर किसी आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी को तैनात करने का कष्ट करें।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
9. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
17. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
21. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।